नारियल उत्पादक समितियों के फेडरेशन (सीपीएफ)

शर्तें

1. प्रारंभ में 40,000 फलदायी पेडोंवाले सदस्य के रूप में नारियल विकास बोर्ड के साथ पंजीकृत 8 नारियल उत्पादक समितियाँ होगा।
2. एक फेडरेशन के अधीन सदस्य के रूप में 20-25 सीपीएसों और 1,00,000 फलदायी पेडों का होना वांछित है।
3. विभिन्न ग्राम पंचायतों के तहत कार्यरत सीपीएस एक फेडरेशन बना सकता है। लेकिन विभिन्न ब्लॉक पंचायतों के तहत कार्यरत सीपीएस एक फेडरेशन बनाने के लिए पात्र नहीं है।
4. फेडरेशन को किसी भी राजनैतिक लगाव नहीं होना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करना चाहिए।

पंजीकरण

उद्देश्यों और प्रशासन सहित फेडरेशन के आदर्श उपनियम (मोडल बाइलो) इसके साथ संलग्न है। इस उपनियम के आधार पर गठित फेडरेशन नारियल विकास बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए। उपनियम में संशोधन करने के लिए बोर्ड की पूर्वानुमति प्राप्त की जाएगी। फेडरेशन के रूप में पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों सहित निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध – II) में आवेदन बोर्ड को प्रस्तुत करें।

1. चारिटबिल सोसाइटी के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र की मूल प्रतिलिपि
2. फेडरेशन के उपनियम और संस्थापन ज्ञापन की प्रतिलिपि
3. बैठक का कार्यवृत्त जिसमें नारियल विकास बोर्ड के साथ फेडरेशन का पंजीकरण करने का निर्णय लिया गया है।
4. निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध-III) में सीपीएस सदस्यों का ब्यौरा

बोर्ड के साथ फेडरेशन के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन इस पते पर प्रस्तुत करें-

अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड, केरा भवन, एसआरवी रोड, कोची – 682 011

नारियल विकास बोर्ड के साथ पंजीकरण के लिए पात्र फेडरेशन को अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड, कोची-682 011 के हित में एरणाकुलम/कोची में देय 500 रुपए के डिमांट ड्राफ्ट से भुगतान करना होगा। पंजीकरण की वैधता दो वर्ष होगा। फेडरेशन को अपना पंजीकरण समाप्त होने के एक महीने पहले 250 रुपए का भुगतान करके नवीकरण करना चाहिए।

संस्थापना ज्ञापन

1. नाम

इस फेडरेशन का नाम नारियल उत्पादक समिति के .... फेडरेशन होगा।

2. पंजीकरण पता

3. प्रचालन क्षेत्र

इस फेडरेशन का प्रचालन क्षेत्र मात्र........................(पंचायत का नाम) पंचायत में ....(ब्लॉक का नाम)......................ब्लॉक में.....................(जिले का नाम)...............जिले में.......................(राज्य का नाम) राज्य होगा।

4. लक्ष्य

नारियल उत्पादक फेडरेशन का लक्ष्य हैः

1. नारियल उत्पादक समिति (सीपीएस)के सदस्यों के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करना।

2. नारियल आधारित खेती में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ और संबंधित अनुसंधान एवं विकास संगठनों के सहयोग से प्रदर्शिनी और अध्ययन दौरे में भागीदारी सहित संबद्ध गतिविधियाँ शुरू करना।

3. नारियल के उत्पादन, प्रापण, प्रसंस्करण और विपणन में नूतन प्रौद्योगिकियों का प्रचार-प्रसार करना।

4. राज्य कृषि विश्वविद्यालय और सीपीसीआरआई जैसे राज्य कृषि विभाग एवं अनुसंधान संगठनों द्वारा सिफारिश की गई कृषि प्रणालियों को अपनाने में मदद करना।

5. सीपीएसों के लिए अच्छी गुणवत्तापूर्ण बीजपौधे उपलब्ध कराना।

6. सदस्यों के लिए उचित दर पर कृषि आदान सामग्रियाँ /उपस्कर प्राप्त करके उपलब्ध कराना।

7.नारियल की गुणवत्ता सुधारने और प्राथमिक स्तरीय प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गतिविधियाँ लागू करना।

8. उत्पादन का एकत्रीकरण और सीपीएसों के उत्पादों का सामूहिक विपणन शुरू करना।

9. नारियल आधारित उत्पाद विविधीकरण और मूल्य वर्धन के लिए उपाय अपनाना।

10. यदि आवस्यक हो तो, फेडेरेशन के प्रचालन क्षेत्र में अधिक सीपीएसों को गठित करना।

11. उत्पाद को उचित दाम सुनिश्चित करने और सीपीएस सदस्यों के लिए न्यूनतम समर्थन भाव के लाभ प्राप्त करने के लिए खोपरा के प्रसंस्करण के लिए नारियल का प्रापण करना।

12. सीपीएसों में से अच्छी गुणवत्तापूर्ण मातृवृक्षों को पहचान करना।

13. फ्रेन्ड्स आफ कोकोनट ट्री का प्रशिक्षण करना और सीपीएसों के लिए उनकी सेवाएं सुनिश्चित करना।

14. सीपीएस समूहों के लिए नारियल खेती तकनीकों को अद्यतन करना।

15. नारियल जोतों में उपयुक्त अंतरा खेती को प्रोत्साहित करना।

16. सीपीएस के उत्पादन और उत्पादकता का समय-समय पर विश्लेषण करना और इसकी वृद्धि के लिए उपायों को अपनाना।

17. किसान क्रेडिड कार्ड जैसे केन्द्र या राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से कम या शून्य ब्याज दर पर ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए सदस्यों को मदद करना।

18. सरकार, स्थानीय स्वशासन संस्थाएं. अनुसंधान संस्थाएं, विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थाएं और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग में कार्य करना।

19. प्रवेश शुल्क, सदस्यता, सब्सिडी और सरकारी एजेंसियों से अनुदान तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण के माध्यम से फेडेरेशन के उद्देश्यों की पूर्ती के लिए निधि एकत्रित करना।

20. उत्पादक कंपनियों की स्तापना के लिए लागू नियमों के अधीन अन्य समान संस्थाओं के सहयोग में कार्य करना।

यथोहस्ताक्षरित हम, एक ज्ञापन के अनुसार एक फेडेरेशन गठित करने और कार्य चलाना चाहते हैं। यह फेडेरेशन भारतीय सोसाइटीस अधिनियम (या प्रासंगिक अधिनियम) के अनुसार कार्य करेंगे। वचन देते हैं कि इसी नाम पर इसके प्रचालन क्षेत्र के अधीन कोई अन्य फेडेरेशन कार्यरत नहीं है।

अध्यक्ष सचिव खजांची

फेडेरेशन के नियमों और विनियमों के अनुसार चुने गए फेडेरेशन के पदाधिकारियों का नाम, पता और रोजगार

क्र.सं	नाम	पता	रोजगार	पदनाम	हस्ताक्षर
1				अध्यक्ष	
2				उपाध्यक्ष	
3				सचिव	
4				संयुक्त सचिव	
5				खजांची	
6				सदस्य, कार्यकारिणी समिति	
7				सदस्य, कार्यकारिणी समिति	
8				सदस्य, कार्यकारिणी समिति	
9				सदस्य, कार्यकारिणी समिति	

गवाह

1............................ हस्ताक्षर

2............................ हस्ताक्षर

उपनियम

1. नाम

फेडेरेशन का नाम नारियल उत्पादक समिति के ....फेडेरेशन होगा।

2. पंजीकृत पता

इस फेडेरेशन का पंजीकृत पता ....होगा।

3. प्रचालन क्षेत्र

इस फेडेरेशन का प्रचालन क्षेत्र ....(पंचायत का नाम) पंचायत मे ....(ब्लोक का नाम) .... ब्लोक में ....(जिले का नाम) ....जिले में ....(राज्य का नाम) ....राज्य में मात्र है।

4. लक्ष्य

नारियल उत्पादक फेडरेशन का लक्ष्य हैः

1. नारियल उत्पादक समिति (सीपीएस)के सदस्यों के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करना।
2. नारियल आधारित खेती में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ और संबंधित अनुसंधान एवं विकास संगठनों के सहयोग से प्रदर्शिनी और अध्ययन दौरे में भागीदारी सहित संबद्ध गतिविधियाँ शुरू करना।
3. नारियल के उत्पादन, प्रापण, प्रसंस्करण और विपणन में नूतन प्रौद्योगिकियों का प्रचार-प्रसार करना।
4. राज्य कृषि विश्वविद्यालय और सीपीसीआरआई जैसे राज्य कृषि विभाग एवं अनुसंधान संगठनों द्वारा सिफारिश की गई कृषि प्रणालियों को अपनाने में मदद करना।
5. सीपीएसों के लिए अच्छी गुणवत्तापूर्ण बीजपौधे उपलब्ध कराना।
6. सदस्यों के लिए उचित दर पर कृषि आदान सामग्रियाँ /उपस्कर प्राप्त करके उपलब्ध कराना।
7. नारियल की गुणवत्ता सुधारने और प्राथमिक स्तरीय प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गतिविधियाँ लागू करना।
8. उत्पादन का एकत्रीकरण और सीपीएसों के उत्पादों का सामूहिक विपणन शुरू करना।
9. नारियल आधारित उत्पाद विविधीकरण और मूल्य वर्धन के लिए उपाय अपनाना।
10. यदि आवस्यक हो तो, फेडेरेशन के प्रचालन क्षेत्र में अधिक सीपीएसों को गठित करना।
11. उत्पाद को उचित दाम सुनिश्चित करने और सीपीएस सदस्यों के लिए न्यूनतम समर्थन भाव के लाभ प्राप्त करने के लिए खोपरा के प्रसंस्करण के लिए नारियल का प्रापण करना।
12. सीपीएसों में से अच्छी गुणवत्तापूर्ण मातृवृक्षों को पहचान करना।
13. फ्रेन्ड्स आफ कोकोनट ट्री का प्रशिक्षण करना और सीपीएसों के लिए उनकी सेवाएं सुनिश्चित करना।
14. सीपीएस समूहों के लिए नारियल खेती तकनीकों को अद्यतन करना।

15. नारियल जोतों में उपयुक्त अंतरा खेती को प्रोत्साहित करना।
16. सीपीएस के उत्पादन और उत्पादकता का समय-समय पर विश्लेषण करना और इसकी वृद्धि के लिए उपायों को अपनाना।
17. किसान क्रेडिड कार्ड जैसे केन्द्र या राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से कम या शून्य ब्याज दर पर ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए सदस्यों को मदद करना।
18. सरकार, स्थानीय स्वशासन संस्थाएं. अनुसंधान संस्थाएं, विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थाएं और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग में कार्य करना।
19. प्रवेश शुल्क, सदस्यता, सब्सिडी और सरकारी एजेंसियों से अनुदान तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण के माध्यम से फेडेरेशन के उद्देश्यों की पूर्ती के लिए निधि एकत्रित करना।
20. उत्पादक कंपनियों की स्तापना के लिए लागू नियमों के अधीन अन्य समान संस्थाओं के सहयोग में कार्य करना।

४. सदस्यता

फेडेरेशन के प्रचालन क्षेत्र के भीतर बोर्ड के साथ पंजीकृत सीपीएस निम्नलिखित शर्तों के अधीन सदस्य बन सकते हैं-
(क) सीपीएस को निर्धारित सदस्यता और वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान करना होगा।
(ख) उनको फेडेरेशन का नियम और विनियम का पालन करना होगा।
(ग) उनको फेडेरेशन के उद्देश्यों के प्रतिकूल होनेवाले किसी भी तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए।
(घ) फेडेरेशन की आवश्यकतानुसार नारियल, डाब, छिलका निकाला गया नारियल, खोपरा आदि के रूप में अपने नारियल देने के लिए तैयार होना चाहिए, जब भी फेडेरेशन उक्त का प्रापण करने का निर्णय लेते हो।

सदस्यता लेने को इच्छुक सीपीएस 1000 रुपए के प्रवेश शुल्क और वार्षिक सदस्यता शुल्क 1000 रुपए सहित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भेजें। फेडेरेशन को वार्षिक सदस्यता शुल्क अप्रैल के पहले ही अदा किया जाए।

समिति को फेडेरेशन के उपनियमों का पालन करने में विफल या हितों एवं नीतियों के विरुद्ध कार्य करने पर सीपीएस को शो कोस नोटिस देने का अधिकार होगा। यदि 14 दिनों के भीतर संतोषजनक उत्तर न प्रस्तुत करने पर या प्रबंधन समिति ने विचरों के बाद यह पाया गया है कि सीपीएस फेडेरेशन के हितों के विरुद्ध कार्य किया है तो सीपीएस को फेडेरेशन की सदस्यता से हटा दिया जाएगा। ऐसे हटाने के कार्य को अगली आम सभा में स्पष्टीकरण हेतु प्रस्तुत करना चाहिए।

5. आम सभा

1. फेडेरेशन की आम सभा में संबंधित सीपीएस के प्रबंधन समिति में से नामित प्रत्येक सीपीएस से दो सदस्य होंगे। सीपीएस को अपने निर्णय पर नामांकित व्यक्तियों को बदलने या परिवर्तित करने का अधिकार होगा। ऐसी बदलाव या परिवर्तन को 15 दिनों के नोटिस द्वारा किया जाना चाहिए।
2. प्रत्येक सदस्य को चुनाव का अधिकार होगा।
3. आम सभा १२ महीने की प्रत्येक अवधि में कम से कम एक बार आयोजित करना चाहिए।
4. फेडेरेशन का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है।
5. आम सभा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन महीने के भीतर प्रति वर्ष संपन्न होना चाहिए।
6. वार्षिक आय और व्यय लेखा, तुलन पत्र और बजट आम सभा में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना चाहिए।
7. ऐसी आम सभा का कोरम कुल सदस्यता के दो तिहाई होगा।

8. सचिव कम से कम सात दिनों के पहले ही सदस्यों को बैठक के लिए कार्यसूची सहित नोटिस जारी किया जाएगा।
9. आम सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव, संयुक्त सचिव, खजांची और चार कार्यकारिणी समिति सदस्यों को सीधे चुने जाते हैं। यदि आवश्यक हो तो, गुप्त मतदान के माध्यम से चुनाव किया जा सकता है। चुनाव में लड़ रहे सदस्य को फेडेरेशन से किसी उत्तरदायित्व नहीं होगा।
10. साधारणतया, दो तिहाई सदस्यों के लिखित अनुरोध पर सचिव असाधारण आम सभा बैठक बुला सकता है। यदि सचिव ऐसे बैठक बुलाने को इनकार करता है तो सदस्यों को अध्यक्ष से असाधारण आम सभा बुलाने का अनुरोध कर सकता है। ऐसा करने का अध्यक्ष भी इनकार करता है तो सदस्यों को असाधारण आम सभा बुलाने का अधिकार होगा।
11. सचिव फेडेरेशन के उपनियमों के संशोधनों के प्रस्ताव के लिए 10 दिनों के नोटिस देंगे और इस प्रयोजन के लिए बुलायी गई बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधन पारित किया जाता है, ऐसा न करने पर प्रस्ताव पारित नहीं होगा।
12. आम सभा द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा फेडेरेशन का तुलन पत्र और आय और व्यय लेखे का लेखा परीक्षा किया जाए और रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए.
13. फेडेरेशन, इसका संगठन और प्रबंधन का परमाधिकार आम सभा पर निर्भर है।
14. आम सभा द्वारा अनुमोदित सभी कार्यक्रमों और नीतियों को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व कार्यकारिणी समिति को है।
15. फेडेरेशन से संबंधित किसी भी वस्तु की चोरी, गायब हो जाना या अप्रतिलभ्य होने पर उस मामले पर अंतिम निर्णय आम सभा का होगा।

6. प्रबंधन

1. फेडेरेशन के प्रबंधन में आम सभा द्वारा चुने गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और चार कार्यकारिणी समिति सदस्य होंगे।
2. आम सभा द्वारा चुने गए लेखा परीक्षक फेडेरेशन का आय और व्यय लेखे का लेखा परीक्षा करता है और रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
3. कार्यकारिणी समिति यदि आवश्यक हो तो, उप समिति को गठित करने का अधिकार रखता है। तथापि उप समिति का नियंत्रण कार्यकारिणी समिति पर निर्भर होगा।
4. कार्यकारिणी समिति का कोरम इसकी कुल संख्या के दो तिहाई होगी।
5. जहाँ मतदान संकल्प के पक्ष और विपक्ष के बराबर हो तो अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।
6. कार्यकारिणी समिति की अवधि कार्यभार ग्रहण करने से दो साल होगा। चुनाव के सात दिनों के भीतर नई कार्यकारिणी समिति को कार्यभार सौंप देना चाहिए।
7. समिति में यदि रिक्ति आने पर समिति के कार्यकाल समाप्त होने के पहले सहयोगित सदस्यों द्वारा भरा दिया जाने का अधिकार कार्यकारिणी समिति को है।
8. समिति सदस्य जो वास्तविक कारण के बिना समिति के तीन बैठकों में लगातार अनुपस्थित हो जाने पर समिति से हटा दिया जाएगा। तथापि उनका/उनकी अनुपस्थिति का वास्तविक कारण समिति को मालूम होने पर सदस्य को समिति में जारी रहने के लिए अनुमति देने का अधिकार समिति को है।
9. कार्यकारिणी समिति सदस्य को फेडेरेशन से कोई देय राशि नहीं होना चाहिए।
10. अध्यक्ष की इस्तीफा के मामले में, अध्यक्ष का अधिकार उपाध्यक्ष को दिया जाएगा और कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष की इस्तीफा स्वीकार करेगी। तथापि फेडेरेशन से अध्यक्ष की कोई

देयताएं न होने पर ही इस्तीफा प्रभाव में आ जाएगा। अगली आम सभा होने तक उपाध्क्ष कार्यभार धारण करेगा।

11. यदि किसी कारण से कार्यकारिणी समिति के अधिकांश सदस्य इस्तीफा देते हैं तो सचिव शीघ्र ही असाधारण आम सभा बुला सकता है और नई समिति के चुनाव के लिए कार्रवाई शुरू कर सकता है।

12. कार्यकारिणी समिति बैठक कम से कम महीने में एक बार बुलाना चाहिए।

13. कार्यकारिणी समिति तिमाही आय और व्यय विवरण, वाउचर्स और पावती की जाँच करेगी और यदि सही पाए जाने पर पारित किया जाता है।

14. समिति के अनुमोदन के साथ फेडेरेशन के लिए ली जानेवाली ऋण के लिए अध्यक्ष, सचिव और खजांची हस्ताक्षरी होंगे।

7. पदाधिकारियों के अधिकार और उत्तरदायित्व

1. अध्यक्ष

क) फेडेरेशन के प्रशासन का पर्यवेक्षण करना

ख) फेडेरेशन के सभी दस्तावेज और रिकार्ड्स अध्यक्ष के नाम पर होगा।

ग) अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति बैठक और उसी प्रकार आम सभा बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

घ) यदि अध्यक्ष किसी बैठक में उपस्थित होने को असमर्थ होने पर उनको पहले ही इसकी सूचना पहले ही उपाध्यक्ष या सचिव को देना चाहिए।

2. उपाध्यक्ष

क) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा।

ख) फेडेरेशन के प्रशासन में अध्यक्ष की सहायता करना।

ग) बैठक द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना।

3. सचिव

क) अध्यक्ष की पर्यवेक्षण के तहत फेडेरेशन के रोजमरा प्रशासन का देखभाल करना।

ख) खजांची द्वारा सुरक्षित रखनेवाले को छोडकर, फेडेरेशन के सभी रिकार्ड्स और दस्तावेजों को सुरक्षित रखना।

ग) फेडेरेशन की संपत्तियों के संरक्षक के रूप में कार्य करना।

घ) फेडेरेशन के पत्राचार का संचालन करना।

ङ) आम सभा तथा कार्यकारिणी समिति बैठक बुलाना और उसके लिए नोटिस जारी करना।

च) रिपोर्ट तैयार करना और रखना, आय और व्यय विवरण, तुलन पत्र, कार्यकारिणी समिति तथा आम सभा बैठक का रिपोर्ट, वार्षिक बजट तैयार करना और आम सभा में वार्षिक आय और व्यय विवरण तथा तुलन पत्र प्रस्तुत करना।

छ) बजट के प्रावधानों के अनुसार भुगतान करना या कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार वाउचरों के माध्यम से खजांची से रुपए प्राप्त करना।

ज) यदि आम सभा की अनुमति से अतिरिक्त व्यय किए गए है तो उसे अतिरिक्त बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाए और आम सभा द्वारा अनुमति प्राप्त किया जाए।

झ) फेडेरेशन के दैनिक खर्च के लिए रुपए प्राप्त करना और अगली आम सभा बैठक में व्यय विवरण प्रस्तुत करें तथा अनुमति प्राप्त करें।

ञ) कार्यकारिणी समिति और आम सभा द्वारा सौपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करना।

4. संयुक्त सचिव

क) फेडेरेशन के प्रबंधन में सचिव की सहायता करना।

ख) सचिव की अनुपस्थिति में कर्तव्यों का निर्वहन करना।
ग) कार्यकारिणी समिति द्वारा सौंपनेवाले अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना।

5. खजांची

क) फेडेरेशन के सभी रुपया संबंधी लेन-देन की जिम्मेदारी खजांची को है।
ख) फेडेरेशन के लिए किए गए भुगतान की पावती का रिकार्ड रखना।
ग) सचिव के साथ आधिकारिक वाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
घ) खजांची आपातकाल के खर्च उठाने के लिए 5000 रुपए तक अपने पास रखने को प्राधीकृत है। 5000 रुपए से अधिक राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक /को-ओपरेटीव सोसाइटी में फेडेरेशन की खाते में जमा करना चाहिए।
ङ) खर्च किए गए राशि के लिए हस्ताक्षरित वाउचर, ऋण पत्र तथा प्रपत्र प्राप्त करना तथा रखना।
च) पास बुकों तथा चेक बुकों को अपने पास रखना।
छ) सभी पावतियों पर फेडेरेशन का मुद्रांकन करना।

8. कार्यशील पूँजी

1) फेडेरेशन की कार्यशील पूँजी में प्रवेश शुल्क, सदस्यता, चंदा, नारियल विकास बोर्ड या किसी अन्य संगठनों से प्राप्त सहायता अनुदान तथा ऋण शामिल है।
2) कार्यकारिणी समिति की अनुमति से सामान्य या विशेष प्रयोजनों के लिए चंदा लिया जा सकता है।
3) कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किसी स्रोतों के माध्यम से कार्यशील पूँजी जुटाया जा सकता है।

9. फेडेरेशन के निवेश

फेडेरेशन के सभी निवेश फेडेरेशन के ही नाम पर होगा। समिति द्वारा अनुमोदित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक /को-ओपरेटीव सोसाइटी में अध्यक्ष, सचिव और खजांची के नाम पर एक संयुक्त खाता खोला जाएगा। राशि वापस लेने के लिए उपरोक्त किसी दो पदाधिकारियों को हस्ताक्षर करना होगा।

10. फेडेरेशन के रिकार्ड का रखरखाव

1. फेडेरेशन के उपनियम तथा प्रमाणपत्रों का फाइल
2. कार्यवृत्त बुक
3. सदस्यता रजिस्टर
4. पावती बुक
5. आय और व्यय विवरण बुक, दैनिक पंजी, सामान्य खाता बही
6. फेडेरेशन की संपत्तियों तथा निवेशों का रजिस्टर
7. पास बुक तथा चेक बुक
8. आय और व्यय विवरण
9. नोटीस बुक
10. पत्राचार फाइल
11. आंतरिक तथा बाह्य रजिस्टर
12. फेडेरेशन के लिए आवश्यक अन्य रजिस्टर

11. फेडेरेशन का लेन-देन

1. फेडेरेशन के लिए और विरुद्ध सभी कानूनी कार्रवाइयाँ चलाने की जिम्मेदारी सचिव का है।
2. फेडेरेशन द्वारा उठाए गए ऋण के लिए कार्यकारिणी समिति तथा फेडेरेशन दोनों समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

कार्यकारिणी समिति फेडेरेशन के लिए देय राशि एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है।

12. फेडेरेशन के समापन के लिए औपचारिकताएँ

कम से कम तीन चौथाई सदस्यों के फैसले पर फेडेरेशन समाप्त कर सकता है। यदि ऐसा निर्णय लिया गया है तो, उसी बैठक में या बैठक द्वारा निर्णीत समय पर समाप्त कर दी जाएगी। फेडेरेशन की संपत्तियों से इसकी देयताओं का भुगतान किया जाए और यदि किसी निधि या संपत्ति बच जाने पर सदस्यों को विभाजित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि सरकार या क्षेत्र में कार्यरत समान फेडेरेशनों को देना चाहिए।

14. फेडेरेशन का एक पंजीकृत कार्यालय तथा मोहर होना चाहिए।

15. उपनियम मे किसी शंका या विवाद के मामले में कार्यकारिणी समिति काा निर्णय अंतिम होगा।

16. उपनियम में संशोधन

यदि फेडेरेशन अपने उपनियम में किसी भी प्रकार का संशोधन करने का इरादा रखता है तो, 10 दिनों के नोटीस द्वारा सदस्यों को सूचित करना चाहिए। आवश्यक कोरमवाला बैठक दो तिहाई बहुमत के साथ संशोधन को पारित किया जाएगा।

यह फेडेरेशन भारतीय सोसाइटीस अधिनियम (या प्रासंगिक अधिनियम) के अनुसार कार्यरत है। यह उपनियम .... को संपन्न बैठक द्वारा अनुमोदित है। प्रमाणित किया जाता है कि यह वास्तविक प्रतिलिपि है।

अध्यक्ष सचिव खजांची

(अनुबंध – 1)

नारियल उत्पादक फेडेरेशन के साथ नारियल उत्पादक समिति (सीपीएस) के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

1. सीपीएस का नाम और पता (पिन कोड सहित)
2. चैरिटबिल सोसाइटी पंजीकरण सं. तथा तारीख
3. नाविबो पंजीकरण सं. तथा तारीख
4. पदाधिकारियों का नाम और पता

क) अध्यक्ष

दूरभाष /मोबाइल
ई-मेल

ख) उपाध्यक्ष

दूरभाष मोबाइल
ई-मेल

5. सीपीएस का प्रचालन क्षेत्र

वार्ड सं.
पंचायत /नगरपालिका /नगर निगम

6. कृषि भवन का नाम जिसके तहत सीपीएस ाता है
7. सदस्यों की संख्या
8. ब्यौरा

क) नारियल के तहत क्षेत्र ....एकड हे.
ख) पेड़ों की संख्या फलदार .... गैर फलदार

शपथ-पत्र

मैं एतद्द्वारा बयान देता/ती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई सूचनाएं मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज़ों में कोई तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। मैं एतद्द्वारा वचन भी देता/ती हूँ कि मैं सीपीएफ के सुचारू संचालन के लिए समय समय पर नारियल विकास बोर्ड द्वारा जारी निदेशों का पालन करूँगा/गी।

स्थान
दिनांक आवेदक का हस्ताक्षर

(अनुबंध – 2)

नारियल विकास बोर्ड के साथ नारियल उत्पादक फेडेरेशन का पंजीकरण हेतु आवंदन पत्र

1. सीपीएफ का नाम और पता (पिन कोड सहित)
2. चैरिटबिल सोसाइटी पंजीकरण सं. तथा तारीख
3. पदाधिकारियों का नाम और पता

क) अध्यक्ष

दूरभाष /मोबाइल
ई-मेल

ख) सचिव

दूरभाष मोबाइल
ई-मेल
4. पंचायत /नगरपालिका /नगर निगम
जिसके तहत सीपीएफ आता है
5. ब्लोक पंचायत का नाम
6. तालुक और जिले का नाम
7. सीपीएफ के तहत सीपीएस का ब्यौरा
(संलग्न प्रपत्र में अलग से प्रस्तुत करें)

शपथ-पत्र

मैं एतद्द्वारा बयान देता/ती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई सूचनाएं मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज़ों में कोई तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। मैं एतद्द्वारा वचन भी देता/ती हूँ कि मैं सीपीएफ के सुचारू संचालन के लिए समय समय पर नारियल विकास बोर्ड द्वारा जारी निदेशों का पालन करूँगा/गी।

स्थान
दिनांक आवेदक का हस्ताक्षर

अनुबंध – **3**

सीपीएस सदस्यों का ब्यौरा

क्र.सं.	सीपीएस का नाम और पता	चैरिटबिल पंजीकरण सं. तथा तारीख	नाविबो पंजीकरण सं. तथा तारीख	ब्यौरा				
				सदस्य और परिवार के अधीन भूमि (सेंट में)	सीपीएस की सीमाओं के भीतर नारियल खेती का विस्तार (सेंट में)	फलदार पेड़ों की संख्या	गैर फलदार पेड़ों की संख्या	वार्षिक नारियल उत्पादन
1.								
2.								
3.								

4. **5.** **6.** **7.** **8.** **9.**								
कुल								